संख्या-342/2015/4059/नौ-5-15-125बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, गोपीगंज (भदोही), पडरौना (कुशीनगर) तथा मुबारकपुर (आजमगढ़)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 18 नवम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत निकायों को द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निकायों को विभिन्न शासनादेशों द्वारा जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम/आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है। सन्दर्भित निकाय द्वारा प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः सूचीबद्ध प्रश्नगत निकाय को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय/आगामी किश्त के रूप में कुल **₹ 70.45 लाख (₹ सत्तर लाख पैतालिस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

((धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त/ आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भदोही	नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज	7099/नौ-5-13-151बजट/2013-10, दिनांक 13.12.2013	19.90	9.45	10.45
2	कुशीनगर	नगर पालिका परिषद्, पडरौना	25/2015/7115/नौ-5-14-358बजट/2014 दिनांक 24.02.2015	50.00	25.00	25.00
3	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद्, मुबारकपुर	35/2015/876/नौ-5-15-358बजट/2014-3, दि0 27.02.2015	70.00	35.00	35.00
			योग			70.45

(रू0 सत्तर लाख पैतालिस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **दिनांक 31 मार्च, 2016** तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्थाद्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित

शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-342/2015/4059 (1)/नौ-5-15-125बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-18/11/2015

प्रेषण संख्या:- 342

आवंटन आदेश संख्या:- 001-342-2015-4059-9-5-15-125B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	आजमगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 10500000	3500000 10500000
2	संत रविदास नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1045000 8045000	1045000 8045000
3	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
.	**योग**	वर्तमान प्रगामी	7045000 21045000	7045000 21045000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तर लाख पैंतालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ दस लाख पैंतालीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी